1 Rs. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

FEE 2 Rs. INDIA

10 Rs. COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(9)

R 1079/II/06

कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा
7 JUN 2006
अधीक्षक कलेक्टर

1. मिठाई लाल तनय श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, उम्र 71 साल,
2. शिव कुमार तनय मिठाई लाल उम्र 33 साल,
3. कौशल प्रसाद पिता राममनोहर त्रिपाठी, उम्र 63 वर्ष,
4. कामता प्रसाद पिता राममनोहर त्रिपाठी, उम्र 73 वर्ष,
5. केशव प्रसाद तनय राममनोहर त्रिपाठी, उम्र 61 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम गभुआनी, तहसील- सिरमौर, जिला - रीवा

---- आवेदकगण

§म0प्र0§

7/6/06

बनाम

1. रामलौटन तिवारी तनय रामविशाल तिवारी, उम्र 64 वर्ष,
2. रामकरण तिवारी तनय रामविशाल तिवारी, उम्र 60 वर्ष,
3. रमेश प्रसाद तिवारी तनय रामविशाल प्रसाद तिवारी, उम्र 45 वर्ष
4. राजेश प्रसाद तिवारी तनय रामविशाल तिवारी, उम्र 40 साल,

सभी निवासी ग्राम गभुआनी, तहसील- सिरमौर, जिला- रीवा

---- अनावेदकगण

§म0प्र0§

अधीक्षक
कार्यालय जिलाध्यक्ष
जिला रीवा (म० प्र०)

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 16/6/06 को प्राप्त

... ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, दिनांक 8.03.06, जरिए द्वित अपील क्रमांक 142/अपील/99-2000 बाबत् उ किए जाने अपील, निगरानी अन्तर्गत् धारा-50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता वर्ष 1959.

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य :-

ग्राम गभुआनी स्थित भूमियाँ कुल रकबा 13.04 ए0 के बाब खाता विभाजन एवं नामान्तरण का प्रकरण हल्का पटवारी द्वारा व 1995 की पंजी क्र0- 9 में दर्ज कर राजस्व निरीक्षक के समक्ष नामान्तरण प्रमाणीकरण किए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 24.02.95 को

..क्रमशः..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1079–दो/2006 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–12–16	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 142/अपील/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। अधीनस्थ तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक रामविशाल की मृत्यु दिनांक 14.07.04 को हो गई थी तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की गई है। प्रकरण में 90 दिन के अंदर पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 01.02.2006 को एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि अनावेदक की मृत्यु दिनांक 14.07.04 को हो गई है। हर पेशी पर आवेदक न्यायालय में में उपस्थित नहीं होता। जब अभिभाषक द्वारा आवेदन–पत्र व विलंब माफी का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया गया कि अनावेदक के विधिक वारिसों को	

पक्षकार बनाया जाये।

4/ अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया, जिसमें स्पष्ट होता है कि अनावेदक की मृत्यु के बाद 90 दिवस के अंदर विधिक वारिसों को रिकॉर्ड में लाये जाने की कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक द्वारा जो आवेदन–पत्र अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया उसमें विलंब के कारण समाधानकारक नहीं होने के कारण ही आवेदक के अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपशमित किया गया है। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया वह उचित है, क्योंकि अनावेदक रामविशाल की मृत्यु हो गई थी, ऐसे में आवेदक का दायित्व बनता है कि वह न्यायालय को सूचित करें एवं मृतक के विधिक वारिसों को रिकॉर्ड में लाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें। चूँकि आवेदक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसे में अपर आयुक्त ने सही निर्णय लिया हैं। मैं अपर आयुक्त रीवा के निर्णय से सहमत हूँ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य